

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
<p>19.01.12</p>	<p>न्यायालय- अनुमण्डल दण्डाधिकारी, अरवल ।</p> <p>वाद् सं०- 1027/ 10 , धारा- 145 द० प्र० सं० 77/ 12</p> <p>महेन्द्र भगत बनाम बीरा भगत वगैरह</p> <p><u>आ दे श</u></p> <p>प्रथम पक्ष को सुना । यह कार्यवाही प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल आवेदन के आधार पर छाता सं०-584, प्लॉट नं०- 1794, रकबा- 11<math>\frac{1}{4}</math> डी० 5 डी० जानिब पूरब चौहद्दी उत्तर- जनेश्वर सिंह, द०- बासो भगत हाजा प्लॉट , पूरब- सरसिंह सिंह, पश्चिम प्रथम पक्ष हाजा प्लॉट, मौजा- निघवाँ, थाना- कुर्था, जिला- अरवल की भूमि पर प्रारम्भ किया गया है ।</p> <p>उभय पक्ष को सूचना निर्गत किया गया, तत्पश्चात् द्वितीय पक्ष नोटिस की जानकारी होते हुए भी न्यायालय में अनुपस्थित रहे । द्वितीय पक्ष को बार- बार मौका देने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए इसीलिए दिनांक- 11/ 07/ 11 को वाद्</p>	<p>125 दिनांक 27/4/12</p>

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
-----------------------------------	-------------------------------------	--

-2-

की कार्यवाही एकपक्षीय किया गया और प्रथम पक्ष से साक्ष्य की मांग की गई ।

प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि

खतियानी भूमि है जो प्रथम पक्ष के हिस्से की है। जो

प्रश्नगत भूमि के  $4\frac{1}{2}$  डी० रकबा पर प्रथम पक्ष का

आवासीय मकान निर्मित था जो बरसात के कारण

गिर गया तथा शेष भूमि पर प्रथम पक्ष का बागीचा

है । उस बागीचा में 5 वृक्ष बैर तथा बांस का एक

कोठी बाधम है। मकान गिर जाने के कारण प्रथम पक्ष

अपने ननिहाल- शाहर तेलपा में निवास कर रहे है,

इसी कारण विपक्षीय प्रथम पक्ष के हिस्से की भूमि

को कब्जा करना चाहते हैं । जब दिनांक- 03/03/

2009 को प्रथम पक्ष सुबह 9-00 बजे बांस की कोठी

से बांस काटने गये तो विपक्षीय द्वारा प्रथम पक्ष को

गाली- गलौज किया गया तथा बांस की कोठी को

कब्जा करने की धमकी देने लगे ।

इनका यह भी कहना है कि धारा- 145

